

# प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 21.03.2025

विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने व कूटरचित/अवैध वीजा व फर्जी एयर टिकट देने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा के नेतृत्व में 30 नि० आशीष कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 124 / 25 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),351(3),316(2) भा०न्या०सं० से संबंधित अभियुक्त हरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को विदेश भेजने के नाम पर वादी मुकदमा से पैसा लेकर अवैध/कूटरचित वीजा व फर्जी एयर टिकट देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु० अ० सं० 124 / 25 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),351(3),316(2) भा०न्या०सं० थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरेन्द्र पुत्र स्व० राममिलन निवासी बेलवाबाबु थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि० आशीष कुमार मिश्रा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. प्रशिक्षु हे०का० उदय प्रताप सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. कां० विजय प्रकाश सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
4. कां० कुँवर विजय सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर